राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2166/2012/भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स यश टैक्सकॉम प्रा.लि.,
भीलवाड़ा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

..... प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं.

निर्णय दिनांक : 16.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी विभाग ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.04.2012 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 1,20,039/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यार्न का आयात राज्य के बाहर से किया जा रहा था। जिसकी जांच दिनांक 21.04.2012 को किये जाने पर परिवहन के समय माल के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में बिल्टी, बिल एवं अनिवार्य घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत किये गये थे परन्तु वैट 47 अवधिपार होने से अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मान कर धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र के अवधिपार होने से केवल तकनीकी त्रुटि मानते हुये अपील स्वीकार की गई थी।

3. विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में शास्ति आरोपित किये जाने का एकमात्र आधार घोषणा पत्र वैट 47 का अवधि पार होना है जिसके संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह तकनीकी त्रुटि थी घोषणा पत्र के अवलोकन पर पाया कि इस पर वैधता की अवधि सम्बन्धी कोई अंकन नहीं किया गया है जो जारी कर्ता अधिकारी द्वारा किया जाता है।अवधि पार घोषणा पत्रों के मामले में माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय मैसर्स मंगलम टिम्बर्स बनाम वा.क.अ., करापवंचन,

लगातार.....2

बांसवाडा अपील संख्या 845/2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय स. वा.क.अ. करापवचंन, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज (2002) 1 आर.टी.आर 26 में यह निर्णय दिये जा चुके है कि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है एवं इस आधार पर शास्ति का आरोपण विधि सम्मत नहीं है फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है व राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य